

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

विषय:- उ0प्र0 आरक्षी नागरिक पुलिस के दिनांक 31.12.1981 तक के भर्ती कर्मियों की भर्ती तिथि को वर्षवार (बैच) मानते हुये आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0), मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एल0आई0यू0 की वर्षवार (बैच) अनन्तिम सूची का उ0प्र0 पुलिस वेबसाइट पर प्रकाशन।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.01.2014 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा दिनांक 01.01.1970 से 31.12.1981 तक के भर्ती 20,909 आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एल0आई0यू0 की वर्षवार (बैचवार) सूची उत्तर-प्रदेश नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के अनुसार तैयार करके उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police> पर प्रदर्शित करते हुए सूची में विद्यमान त्रुटियों को सही करने तथा छूटे हुये नाम को सम्मिलित कर अवगत कराने एवं उत्तर-प्रदेश नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली पर तदनुसार सही कर सूचित करने का अनुरोध किया गया था।

2- आपके कार्यालय/इकाई से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिनांक: 31.12.1981 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0), मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एल0आई0यू0 की वर्षवार (बैचवार) अनन्तिम सूची तैयार कर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-civil-police> पर दिनांक 23.01.2014 को प्रदर्शित कर दी गयी है। उक्त अनन्तिम सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की गयी है:-

- 1-भर्ती की तिथि के वर्ष को "वर्ष (बैच)" माना गया है।
 - 2-पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी का नाम पश्चातवर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी से ज्येष्ठ माने गये हैं।
 - 3-वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में एक वर्ष(बैच) में अंकित आरक्षियों के नामों के क्रम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।
 - 4-सूची जोनवार/परिक्षेत्रवार/जनपद/इकाई एवं पीएनओ के क्रम में तैयार की गयी है।
 - 5-मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) ना0पु0/मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एल0आई0यू0 का मौलिक पद आरक्षी होने के कारण इनका नाम भी इसी सूची में सम्मिलित किया गया है।
 - 6-यह सूची उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार की गयी है।
- 3- कृपया वेबसाइट पर प्रदर्शित अनन्तिम सूची को डाउन लोड कर यह सुनिश्चित कर लें की सूची में आपके जनपद अथवा इकाई में तैनात दिनांक: 31-12-1981 से पूर्व के भर्ती सभी आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0), मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एलआईयू के नाम अंकित है तथा उनके भर्ती की तिथि के अनुसार सही भर्ती वर्ष (बैच) अंकित है। उपरोक्त सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त दर्शाये कर्मियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में अलग से Excel फाइल में ई-मेल से प्रेषित किया जा रहा है। यदि उस Excel फाइल में दर्शायी गयी सूचना में कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे प्रेषित की गयी Excel

✓

फाइल में संशोधित करते हुए किये गये संशोधन को पीले रंग से दर्शाते हुए एवं अन्य कोई आवश्यक सूचना अंकित करना अपेक्षित हो तो उसे अंकित करते हुये उसी Excel फाइल को वापस पुलिस मुख्यालय के ई-मेल promo.ctohccpphq5@gmail.com पर दिनांक 26.01.2014 को साय: 05:00 बजे तक अवश्य प्रेषित कर दें। यदि किसी कर्म का नाम जोड़ना हो तो उसी Excel फाइल में सबसे नीचे निर्धारित कालम में सूचना भर दें। अनुरोध है कि जो Excel फाइल प्रेषित की जाये उसे ई-मेल से अटैच करते हुए वापस करे उसका प्रिन्ट आउट लेकर स्कैन करके न भेजा जाय। उपरोक्त सूचना की हस्ताक्षरित प्रति अलग से प्रेषित की जाय।

4- इस सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार-प्रसार करने हेतु सूचना-पट्ट पर दिनांक 24.01.2014 को अवश्य चस्पा करवा दें तथा वायरलेस सेट के माध्यम से प्रतिदिन दो बार समस्त थाना/चौकियों को भी इस सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित कराये। साथ ही सूची में अंकित आरक्षियों को इसकी लिखित सूचना देकर इसका अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित कर लिया जाय। यदि कोई आरक्षी अवकाश पर हो अथवा किसी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो इसकी सूचना लिखित रूप में अवकाश कालीन पता/नियुक्ति स्थान को दे दें।

5- प्रकाशित अनन्तिम सूची में जिन आरक्षियों का पीएनओ नं० आवंटित नहीं है उन आरक्षियों का पीएनओ नं० उ०प्र० तकनीकी सेवायें से आवंटन का अनुरोध करके दिनांक 24.01.2014 को पीएनओ आवंटित करा लिया जाय तथा पुलिस मुख्यालय को दिनांक 26.01.2014 को साय 05:00 बजे तक अवगत कराये। उल्लेखनीय है कि पीएनओ आवंटन का कार्य उ०प्र० तकनीकी सेवा लखनऊ द्वारा किया जाता है। इसके लिये पुलिस मुख्यालय को संदर्भित न किया जाय।

6- 09.01.2014 को प्रकाशित सूची में कई कर्मियों के सम्बन्ध में जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनके जनपद में नियुक्त नहीं है और न ही किसी अन्य जनपद में नियुक्त होने की कोई सूचना दी। ऐसे कर्मियों की सूची अलग से एक Excel फाइल में ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि उसमें अंकित समस्त कर्मियों की सूचनाओं का मिलान जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मियों से कर लें। यदि कोई कर्म आपके जनपद/इकाई में नियुक्त पाया जाता है तो उसकी सूचना उसी Excel फाइल में अंकित कर दे तथा यदि किसी कर्म के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके जनपद/इकाई में उपलब्ध हो तो उसे भी अभ्युक्ति के कालम में अंकित करते हुए उस Excel फाइल को वापस ई-मेल के माध्यम से promo.ctohccpphq5@gmail.com पर दिनांक 26.01.2014 को साय: 05:00 बजे तक प्रेषित कर दे। अनुरोध है कि जो Excel फाइल प्रेषित की जाये उसे ई-मेल से अटैच करते हुए वापस करे उसका प्रिन्ट आउट लेकर स्कैन करके न भेजा जाय। उपरोक्त सूचना की हस्ताक्षरित प्रति अलग से प्रेषित की जाय।

7- यह देखने में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा दिनांक 09.01.2014 को प्रकाशित वर्षवार(बैच) सूची में सम्मिलित नामों से अपने जनपद में नियुक्त कर्मियों के नाम एवं विवरण से बिना गम्भीरता पूर्वक मिलान किये उनके नाम छूटे होने का उल्लेख कर सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया जिसके कारण कई कर्मियों का सूची में दो बार नाम अंकित हो गया जिसे बाद में मिलान के दौरान हटाना पड़ा। इससे पुलिस मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक रूप से कार्य बढ़ा एवं पुलिस मुख्यालय को अनन्तिम सूची तैयार कर प्रकाशित करने में अत्यंत जटिलता एवं कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः पुनः अनुरोध है कि प्रकाशित की जा रही इस अनन्तिम सूची में अंकित नामों से अपने जनपद में नियुक्त कर्मियों के नाम एवं विवरण का गम्भीरता एवं अत्यन्त सावधानी पूर्वक मिलान किया जाय एवं वास्तविक रूप से जिनके नाम छूटे हुये हों अथवा अंकित विवरण गलत हों उन्हीं की सूचना दी जाय जिससे पुलिस मुख्यालय को अंतिम सूची तैयार कर प्रकाशित करने में अनावश्यक समस्याएँ उत्पन्न न हो।

8- आपके जनपद अथवा इकाई में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रकाशित अनन्तिम सूची में दी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 07 दिवस का समय प्रदान करते हुए अन्तिम तिथि 30.01.2014 निर्धारित की गई है। सम्बन्धित कर्मियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों का अभिलेख से मिलान करते हुए उनको भी दिनांक: 30.01.2014 को निस्तारित कर दें। प्रत्यावेदन निस्तारण की सूचना

Br

सम्बंधित कर्मों को दिनांक 30.01.2014 सांय 05:00 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय तथा इसके अभिलेख भी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें। प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में एक रजिस्टर में अंकित कराकर रखा जाय जिससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका समाधान हो सके। प्रत्यावेदन निस्तारण के दौरान उपरोक्त सूची में किसी कर्मों की कोई सूचना गलत पाई जाती है और उसे संशोधित किया जाता है तो इसकी भी सूचना उपरोक्त सूची के प्रारूप में Excel फाइल में भर कर पुलिस मुख्यालय की ई-मेल आईडी promo.ctohccpphq5@gmail.com पर दिनांक 30.01.2014 को अवश्य उपलब्ध करा दें।

9— इस सूची में अंकित कर्मियों के प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारण के लिये अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना उसी दिन निस्तारित करते हुये कर्मियों को अवगत कराया जाय तथा इसी सूचना इस मुख्यालय को भी प्रतिदिन प्रेषित की जाय। दिनांक 30.01.2014 तक प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर इसकी संकलित सूचना विलम्बतम दिनांक 30.01.2014 को सांय 05:00 बजे पुलिस मुख्यालय को सूची के प्रारूप में Excel फाइल में भर कर पुलिस मुख्यालय की ई-मेल आईडी promo.ctohccpphq5@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करा दें।

10— कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से आप का ध्यान अपेक्षित है:—

- यदि सूची में आपके जनपद/इकाई में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मों वास्तव में वहाँ तैनात नहीं है तो उसका नाम हटाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह कर्मों वर्तमान में कहाँ तैनात है और इसके सत्यापन के पश्चात् ही उसका नाम हटाया जाय तथा नवनियुक्त स्थान की सूचना अवश्य दी जाय।
- उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मों मृत, बर्खास्त या सेवानिवृत्त हो गया हो तो इसकी सूचना अवश्य दी जाय।
- उपरोक्त सूची में यदि कोई कर्मों निलम्बित चल रहा हो तो उसकी सूचना भी अवश्य दी जाय।
- यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपके जनपद/इकाई में तैनात मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) को मुख्य आरक्षी के रूप में तो नहीं दर्शाया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो ऐसे मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) का नाम उपरोक्त अनन्तिम सूची में सम्मिलित करने हेतु पुलिस मुख्यालय को उसकी Excel फाइल में ई-मेल से भेजते हुये उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटावेस प्रणाली में भी संशोधित करा दी जाय।
- यदि कोई बर्खास्त कर्मों हाल ही में बहाल हुआ हो और इस सूची में आने की पात्रता रखता हो तो उसका नाम इस सूची में सम्मिलित करवा दिया जाय तथा उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटावेस प्रणाली में भी इसकी प्रविष्टि की जाय।
- आपके जनपद/इकाई से प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियों का नाम सूची में सम्मिलित होने से छूटा न हो। प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियों के नामों को सम्मिलित कराने की जिम्मेदारी उनके गहन जनपद की होगी।

11— कृपया दिनांक: 30.01.2014 सांय 05:00 बजे तक इस आशय का प्रमाण-पत्र पुलिस मुख्यालय में अवश्य प्रेषित कर दें कि प्रकाशित अनन्तिम सूची में दिनांक: 31.12.1981 से पूर्व के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) एलआईयू का नाम छूटा नहीं है तथा सूची में सशस्त्र पुलिस का कोई कर्मों सम्मिलित नहीं है। यदि किसी कर्मों का नाम छूटा हो अथवा डाटा त्रुटिपूर्ण हो तो उसके सम्बन्ध में दिनांक: 30.01.2014 सांय 05:00 बजे तक उपरोक्त सूची के प्रारूप में **Excel** फाइल में पुलिस मुख्यालय की दी गयी ई-मेल आईडी पर प्रेषित कर दी जाय। यह भी प्रमाणित किया जाय कि प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के बारे में जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मियों के प्राप्त समस्त प्रत्यावेदन आपके द्वारा निस्तारित कर दिये गये हैं एवं संशोधित की गई समस्त सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है।

12— उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.1981 से पूर्व के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी ना0पु0 एवं मुख्य आरक्षी (विशेष

श्रेणी) एलआईयू से सम्बन्धी उ0प्र0 नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली को जनपदों से प्राप्त हो रहे अनुरोध के कारण दिनांक 24.01.2014 से फ्रीजिंग हेतु खोला जा रहा है जिसे दिनांक 27.01.2014 को प्रातः 11:00 बजे तक फ्रीज (FREEZE) कर दिया जायेगा।

13- अनन्तिम सूची के साथ आपके जनपद/इकाई से सम्बन्धित ई-मेल आईडी एवं फैक्स नम्बर की सूची भी प्रकाशित की जा रही है जिस पर अनन्तिम सूची भेजी गयी है। कृपया सूची में अंकित ई-मेल आईडी एवं फैक्स नम्बर को चेक करा ले तथा इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो दिनांक 25.01.2014 तक अवगत करा दे एवं पुलिस मुख्यालय की सीयूजी नम्बर 9454402511 पर संदेश के माध्यम से भी सूचित करायें।

14- उपरोक्त कार्यवाही शासनादेश संख्या:3635/छ:-पु-1-113-115/08 दिनांक: 09.01.2014 के क्रम में की गयी है।

(भगवान स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक वही

प्रतिलिपि— पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया ई-मेल सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित करने की कृपा करें।

(भगवान स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि—अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।

2-पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्ड गोमती नगर लखनऊ।
- 2-निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 3-आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
- 5-पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 6-पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
- 7-पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ।
- 8-पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
- 9-संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
- 10-सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 11-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 12-संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 13-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, गौतमबुद्धनगर।